कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेन्ट कमांडर, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 29/04/2020

क्रमांक 878 /वाचक–दाण्डिक/2020 :: आवेदकगण मोहल्लेवासी, गुदरी बाजार, अम्बिकापुर जिला– सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा इस आशय का शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है कि स्थानीय गुदरी बाजार अम्बिकापुर में अवस्थित सब्जी मण्डी में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग तथा कोविड–19 वायरस से बचाव के उपायों का पालन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। आवेदकगणों द्वारा वर्तमान लॉकडाउन को देखते हुए गुदरी बाजार को बंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदकगण के शिकायत आवेदन पर जॉच कराई गयी, जॉच उपरांत मुझे समाधान हो गया है कि मेरे अधिकारिता के अंतर्गत गुदरी बाजार अम्बिकापुर में सब्जी विक्रय किये जाने से सोशल डिस्टेन्सिंग तथा कोविड–19 वायरस से बचाव के उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आस–पास के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अतः जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए गुदरी बाजार में सब्जी विक्रय को आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एवं इंसीडेंट कमांडर,
अम्बिकापुर

पृ.क्र./ 879 /वाचक–दाण्डिक/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 29/04/ 2020

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सरगुजा अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ। कृपया अपने अधीनस्थ अमले द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाने का कष्ट करेंगे।
5. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. थाना प्रभारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, अम्बिकापुर को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. समस्त सब्जी विक्रेता, गुदरी बाजार अम्बिकापुर को पालनार्थ।

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एवं इंसीडेंट कमांडर,
अम्बिकापुर

Scanned by CamScanner